मई २०२२ | इश्यू ६

स्त्री मनोरक्षा न्यूजलेटर

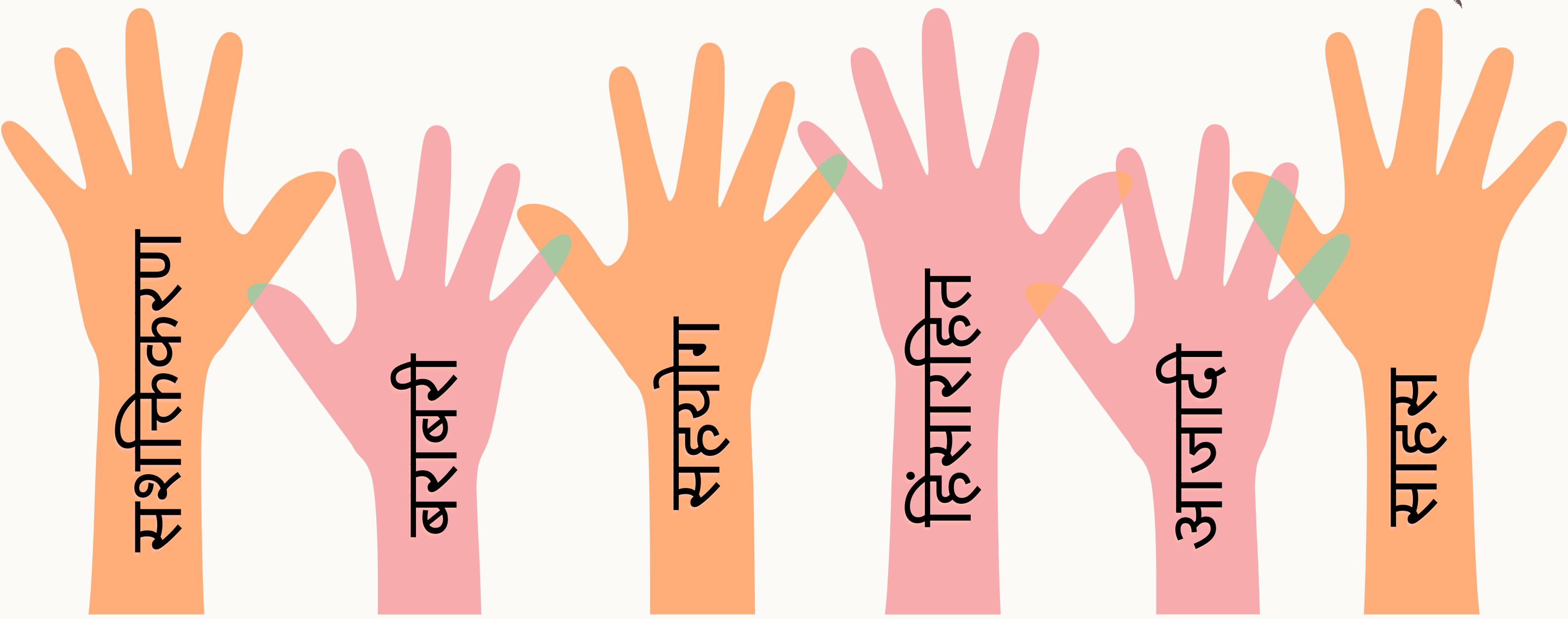

https://nimhansstreemanoraksha.in/

https://twitter.com/StreeManoraksha

ON THE MAP:

PROJECT STREE MANORAKSHA CERTIFICATE COURSE

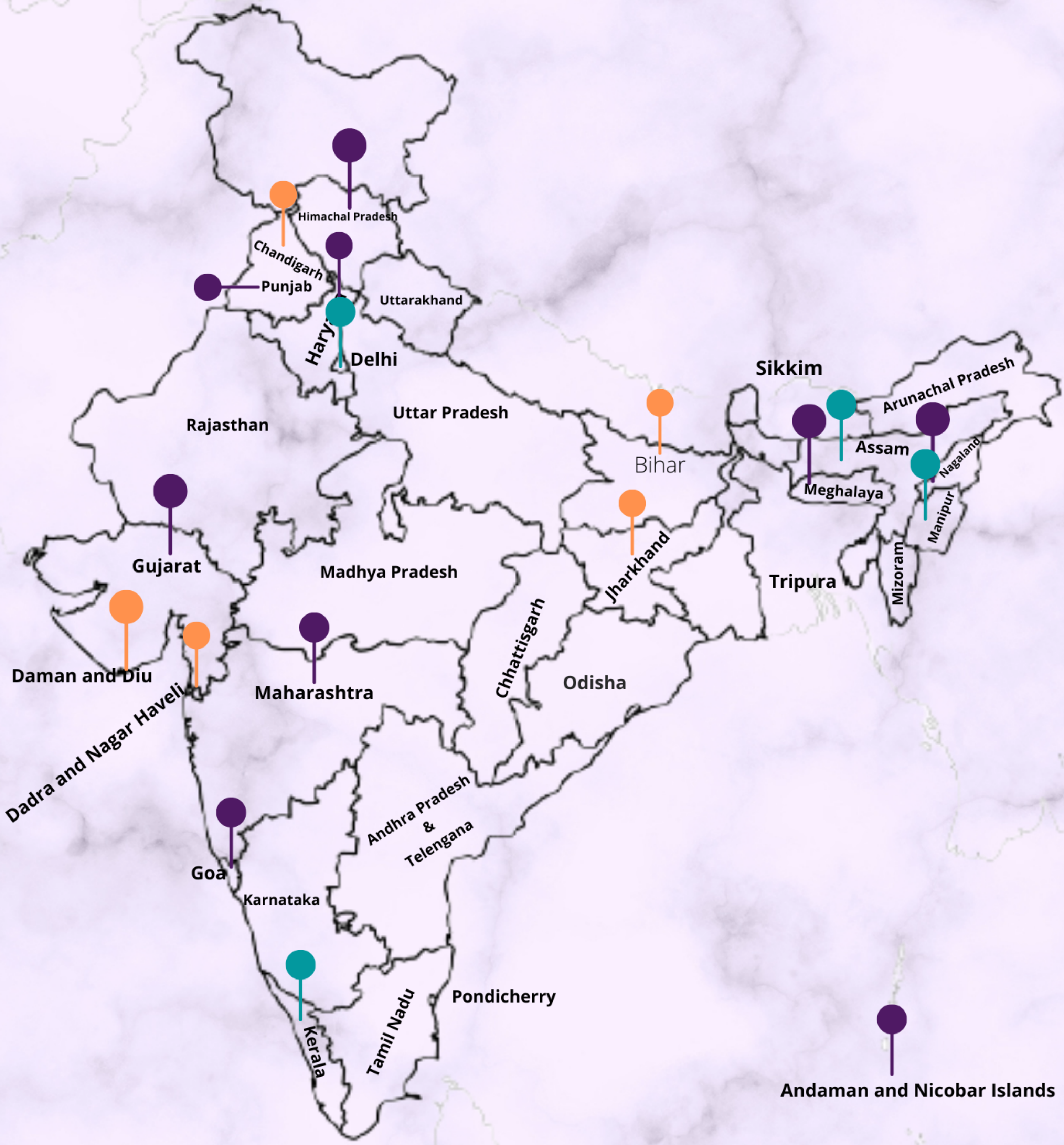

States and UTs with completed certificate course

States and UTs with ongoing certificate course

States and UTs with upcoming certificate course

स्त्री मनोरक्षा प्रशिक्षण : अभी तक की उन्नति

31

३१ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच

583

५८३ ओएससी को पूरा किया

2204

२२०४ प्रतिभागी कोप्रशिक्षित किया गया

392

392 कुल प्रशिक्षण घंटे

अंतरंग संबंधों में यौन हमले को समझना

संपूर्णा चक्रवर्ती द्वारा

यौन हिंसा एक व्यापक समस्या है जिसका सामना सदियों से दुनिया भर की महिलाओं ने किया है। इस तथ्य के बावजूद, एक अंतरंग या वैवाहिक संबंधों के भीतर यौन उत्पीड़न की काफी हद तक अनदेखी की गई है और ये अनुसंधान और कानूनी, सांस्कृतिक और पेशेवर रूप से भी अमान्य किया गया है।विवाहित जोड़ों के बीच या अंतरंग भागीदारों के बीच यौन हिंसा को सरल शब्दों में यौन संबंध रखने वाले जीवनसाथी/साथी द्वारा उनके साथ संभोग या किसी भी प्रकार की अनुचित यौन प्रगति पति/पत्नी/साथी की सहमति के बिना करने के रूप में समझा जा सकता है | महिलाओं के खिलाफ हिंसा के संबंध में भारत में बहुत से कानून और अधिनियम पारित हुए हैं, तथापि, एक वैवाहिक संदर्भ के भीतर यौन उत्पीड़न भारत में अपराध के रूप में मान्यता प्राप्त करने में विफल रहा है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अनुसार "बलात्कार का अर्थ बिना व्यक्ति की सहमति के उसके साथ यौन समबन्ध या योनि, गुदा, मुँह या शरीर के किसी भी अन्य भाग में पीड़ित की सहमति के बिना शरीर के किसी अंग या बाहरी वस्तु का प्रवेश करना है"। हालांकि, एक अपवाद प्रदान किया गया है जो कहता है कि यदि ये गैर-सहमति वाले यौन सम्बन्ध एक विवाहित जोड़े के बीच होता है, उस स्थिति में इसे बलात्कार नहीं माना जायेगा और इसी कारण ये भारत में अपराध या अवैध नहीं है। ये छूट इस धारणा पर आधारित है कि वैवाहिक संबंधों में महिलाओं द्वारा संभोग के लिए सहमति "अंतर्निहित और अपरिवर्तनीय" है (गुप्ता और गुप्ता, 2013)।

अंतरंग साथी द्वारा महिलाओं से यौन हिंसा के बारे में पूछना अलग-अलग संस्कृतियों में चुनौतीपूर्ण है और परिणामस्वरूप, अंतरंगसाथीयौनहिंसाकेपीड़ितोंएकबड़ाहिस्सा, पतिद्वाराजबरनसंभोगकाअनुभवहोनेकेदौरानयाहिंसाकेअन्यरूपोंकेअपनेअनुभवसाझा करने (गुप्ता, 2014) मेंकमरिपोर्ट (1% सेकम) कियागयाहै।[N1] राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट (एनएफएचएस 5, 2019 - 2021) में कहा गया है कि 18-49 आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं में से जिन्होंने कभी यौन हिंसा का अनुभव किया है, उनमें से 83% ने अपने वर्तमान पति और 13% ने एक पूर्व पति को अपराधी के रूप में रिपोर्ट किया।

एकअंतरंग रिश्तेमें यौनहमले केमनोवैज्ञानिक परिणाम

- कई अध्ययनों में पाया गया है यौन हमले का अनुभव करने वाली महिलाओं में मनोवैज्ञानिक प्रभाव जैसे कि डिप्रेशन और पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव विकार (PTSD) के लक्षण आमतौर पर पाए जाते हैं।

- अध्ययनों से पता चला है कि एक विवाहित रिश्ते में यौन उत्पीड़न या अंतरंग साथी द्वारा हिंसा खुद को बहुत दोष देना तथा स्वयं के प्रति निम्न विचार, शरीर की छवि के मुद्दे, और सेक्स तथा पुरुषों के प्रति अधिक नकारात्मक भावनाएं होने से सम्बंधित है।

- अक्सर गैर-वैवाहिक अंतरंग संबंधों में यौन हिंसा का उल्लेख किया जाता है जो शायद गुप्त हो या दूसरों के लिए ज्ञात न हो, और सामना करने वाली महिला के लिए शर्म और निंदा के कारण अनुभव और आघात होने पर अंतरंग संबंधों में हिंसा के बारे में बात करना मुश्किल हो सकता है।

- अंतरंग साथी यौन हिंसा से बचे लोगों अथवा उत्तरजीवों ने भी एक भय, चिंता, निराशा, लाचारी का बढ़ा हुआ स्तर, घृणा, क्रोध और अपमानित होने की भावना को रिपोर्ट किया।

- महिलाओं ने विश्वास और अंतरंगता के विश्वासघात का अनुभव करने की सूचना दी और अक्सर परिवार के सदस्यों से अमान्यता और अविश्वास जो आघात के उनके अनुभव को बढ़ाता है, के बारे में बताया।

- अंतरंग संबंधों में यौन हिंसा का अनुभव करने वाली महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी लक्षण जैसे योनि या पैल्विक दर्द या योनि स्राव जो अक्सर पहचाना नहीं जाता है या इलाज नहीं किया जाता है, हो सकता है। वे यौन गतिविधि के प्रति अरुचि का अनुभव या तो दर्द के कारण या यौन हिंसा से संबंधित संकट के कारण भी कर सकते हैं और ऐसे में सेक्स से बचने और इनकार करने से साथी की हिंसा की संभावना बढ़ सकती है।

अंतरंगसाथी द्वारायौन हिंसा या प्रताड़नासहने वाली महिलाओं के लिए प्राथमिक मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप

- <u>तत्काल प्रतिक्रिया सुनना और मान्य करना है:</u> महिला के अनुभवों के प्रति सहानुभूति के साथ ध्यान से सुनना महत्वपूर्ण है । उसकी बातो पर विश्वास करना और उसे समर्थन और करुणा प्रदान भी जरुरी है।

- <u>अनुभव के बारे में अधिक कैसे जानें ?</u> सिर्फ ये पूछना की 'क्या आपके साथ कभी बलात्कार हुआ है ' अनुचित और अपर्याप्त है क्योंकि अधिकतर महिलाये जिनके साथ यौन हिंसा हुई होती है, वो अपने अतरंग साथी के इस कृत्या को हिंसा नहीं मानती है। जबकि, महिलाओं से कुछ इस तरह के सवाल पूछे जाने चाहिए जैसे , क्या कभी आपके साथ दबाब बना कर के यौन कृत्य किया गया है ? या क्या कभी आपके साथ जबरदस्ती यौन सम्बन्ध बनाया गया है? क्या आपके साथ तब यौन सम्बन्ध बनाया गया जब आप सो रहे थे? या कभी आपकी इच्छा के विपरीत आपसे यौन सम्बन्ध बांया गया है ? या ऐसे ही कुछ अन्य सवाल ।

- <u>समर्थन सुविधा</u>: एक सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया महिला के अनुभव को वैध बना सकती है, यह यौन हिंसा और उसके लिए संसाधन जुटाने और अपनी भावना फिर से हासिल करने में बेहद मददगार है। विवाह या अंतरंग संबंध में यौन उत्पीड़न के बारे में संवेदनशील रूप से प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाओं द्वारा स्वयं इस जानकारी को स्वेच्छा से देने की संभावना नहीं है।

- <u>सुरक्षा सुनिश्चित करें:</u> किसी आपात स्थिति की स्थिति में, सुरक्षा योजना विकसित करना महत्वपूर्ण है। जिले के महिला-सखी वन-स्टॉप सेंटर के हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्पलाइन (अखिल भारतीय)1091, घरेलू दुर्व्यवहार हेल्पलाइन-181 उपयोगी हो सकती है।

- <u>कानूनी निवारण:</u> महिला को सूचित करें और शिक्षित करें कि यदि भारत में एक महिला वैवाहिक संबंध में यौन शोषण अनुभव करती है तो वह घरेलू हिंसा वो अधिनियम (2005) के तहत कोर्ट जा सकती है और अधिनियम के तहत अपने पति से न्यायिक अलगाव प्राप्त कर सकती है (भले ही यह भारतीय दंड संहिता के तहत पति के लिए दंडनीय नहीं)।

- <u>रेफ़रल :</u> महिला के मानसिक स्वास्थ्य पर आघात के प्रभाव के आधार पर, आवश्यक रेफरल दवा या आघात-केंद्रित चिकित्सा (मनोचिकित्सक या नैदानिक मनोवैज्ञानिक) के लिए बिना किसी देरी के किए जाने की आवश्यकता है। आवश्यक कानूनी सहायता सेवा रेफरल भी करना होगा ।

- <u>सहमति के महत्व को समझना:</u> यौन सहमति के बारे में संचार एक बारीक विषय है। इसमें यौन क्रिया के लिए आंतरिक इच्छा का संयुक्त घटक शामिल है और साथी के साथ बाहरी संचार जरुरी है । एक अंतरंग संबंध में यौन हमले की संभावनाओं को कम करने का एक अनिवार्य तरीका सहमति के महत्व के बारे में सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है ।